न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 48/2016 – आ0नि0

1. नन्दालाल पिता गेन्दीलाल मीणा निवासी बरडा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

–प्रार्थी

बनाम

1. मोहन पुत्र हरदेव धाकड निवासी गढबोदिया, तहसील जहाजपुर
2. तहसीलदार जहाजपुर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

––विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ आंवटन नियम 1970

उपस्थित :–

1. श्री मनीष कुमार कांटिया अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. श्री पृथ्वीराज चौधरी अधिवक्ता – विपक्षी सं0 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 31.10.2017

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ आंवटन नियम 1970 प्रस्तुत हुआ, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रजवास पटवार हल्का आमलदा तहसील जहाजपुर में मिसल नम्बर 993/71 खसरा सं. 465/12 रकबा 2 बीघा भूमि को दिनांक 07.08.1971 को आवंटन की गयी । उक्त आवंटन विधि विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य हैं । आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 07.08.1971 को विपक्षी सं. 01 को किया गया आवंटन व कब्जे काश्त व मौके की जाँच व वास्तविक तथ्य की जानकारी किये बिना किया गया हैं जो विधि विरूद्व होने से आवंटन निरस्त किये जाने योग्य हैं । ग्राम रजवास में जिस जगह वर्तमान में नक्शे में आवंटन भूमि तरमीम की गयी है उस पर प्रार्थी वर्षों से काबिज होकर उक्त भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। प्रार्थी ने उक्त भूमि को काफी लागत लगाकर उपजाऊ बनाया है व उक्त भूमि ही प्रार्थी के जीवन यापन का एकमात्र जरिया हैं । प्रार्थी अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है। आवंटन कमेटी द्वारा भी आवंटन के नियमों की विधिवत पालना नहीं की गयी न ही विपक्षी सं. 01 को आवंटन के पश्चात् कब्जा सिपुर्द किया गया । न ही आवंटन के पश्चात उक्त भूमि को नक्शे में तरमीम किया गया । भूमि आवंटन के काफी समय पश्चात आवंटन भूमि नक्शे में तरमीम की गयी व जिस जगह भूमि तरमीम की गयी है वह नजरी नक्शे से भिन्नता लिए हुए है। जिससे भी आवंटन विधि विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य हैं । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम रजवास तहसील जहाजपुर की भूमि मिशल नं. 993/71 पर स्थित खसरा सं. 465/12 रकबा 2 बीघा भूमि को दिनांक 07.08.1971 को आवंटन की गयी है जिसे निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान

करावें ।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 22.09.2016 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी किये गये तथा भू–आवंटन संबंधी रेकार्ड तलब किया गया। विपक्षी सं. 01 की ओर से दिनांक 22.03.2017 को जवाब प्रस्तुत हुआ।

प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई । प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 07.08.1971 को विपक्षी सं. 01 को किया गया आवंटन व कब्जे काश्त व मौके की जाँच व वास्तविक तथ्य की जानकारी किये बिना आवंटन किया गया हैं जो विधि विरूद्व होने से आवंटन निरस्त किये जाने योग्य हैं । ग्राम रजवास में जिस जगह वर्तमान में नक्शे में आवंटन भूमि तरमीम की गयी है उस पर प्रार्थी वर्षों से काबिज होकर उक्त भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। आवंटन कमेटी द्वारा भी आवंटन के नियमों की विधिवत पालना नहीं की गयी न ही विपक्षी सं. 01 को आवंटन के पश्चात् कब्जा सिपुर्द किया गया । न ही आवंटन के पश्चात उक्त भूमि को नक्शे में तरमीम किया गया । भूमि आवंटन के काफी समय पश्चात आवंटन भूमि नक्शे में तरमीम की गयी व जिस जगह भूमि तरमीम की गयी है वह नजरी नक्शे से भिन्नता लिए हुए है। जिससे भी आवंटन विधि विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य हैं । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम रजवास तहसील जहाजपुर की भूमि मिशल नं. 993/71 पर स्थित खसरा सं. 465/12 रकबा 2 बीघा भूमि को दिनांक 07.08.1971 को आवंटन की गयी है जिसे निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करावें ।

विपक्षी अधिवक्ता ने लिखित बहस में बताया कि आवंटन कमेटी द्वारा नियमानुसार आवंटन के नियमों की पालना करते हुये विधि सम्मत आवंटन किया हैं, जो सही है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 07.08.1971 को आवंटन कमेटी द्वारा नियमों की पालना करते हुए कब्जे की जाँच पड़ताल कर आवंटन कर विपक्षी सं. 01 से नजराना राशि वसूल कर मौके पर कब्जा सुपूर्द किया तभी से उक्त आवंटित आराजी पर विपक्षी सं. 01 काबिज हो उपयोग उपभोग करता चला आ रहा हैं । विपक्षी सं. 01 द्वारा नियमानुसार आवंटन की शर्तों की पालना कर प्रथम वर्ष 50 प्रतिशत जमीन पर काश्त कर दूसरे वर्ष सम्पूर्ण जमीन पर काश्त की । जिस पर नियमानुसार आवंटन होने से विपक्षी सं. 01 के नाम गैर खातेदारी दर्ज हुयी। उसके बाद नियमानुसार विपक्षी सं. 01 के नाम नामान्तरकरण सं. 325 दिनांक 18.01.1983 के जरिये गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज की हैं, इसके पश्चात जरिये शुद्धि पत्र आवंटितशुदा आराजी नम्बर 465/12 के बजाय 879/465 नये नम्बर दर्ज किये गये। नियमानुसार खातेदारी दर्ज होने के बाद आवंटन निरस्तीकरण 14(4) प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। प्रार्थी को धारा 88 राज.टी.एक्ट के तहत सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये । विपक्षी सं. 01 के आवेदन पत्र पर नियमानुसार मिसल कायम की गयी । प्रार्थी या अन्य किसी के द्वारा उक्त जमीन हेतु आवंटन आवेदन पेश नहीं करने पर नियमानुसार उक्त भूमि विपक्षी सं. 01 को आवंटन की गयी । विपक्षी सं. 01 की ओर से विधिक दृष्टान्त आर.आर.टी. 2017(1) पेज नम्बर 480, आर.आर.टी. 2016(2) पेज नम्बर 756, आर.आर.टी. 2014(2) पेज नम्बर 1150, आर.आर.टी. 2011(1) पेज नम्बर 270, आर.आर.टी. 2010(1) पेज नम्बर 145, आर.आर.टी.

2010(1) पेज नम्बर 158, आर.आर.टी. 2009(2) पेज नम्बर 1273, आर.आर.टी. 2009(1) पेज नम्बर 220, आर.आर.टी. 2009(1) पेज नम्बर 453, आर.आर.टी. 2002(1) पेज नम्बर 162 प्रस्तुत किये गये हैं ।

उपभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया । ग्राम रजवास पटवार हल्का आमलदा तहसील जहाजपुर के आ.नं. 465/12 रकबा 2 बीघा भूमि दिनांक 07.08.1971 को श्री मोहन पुत्र हरदेव धाकड निवासी गढबोदिया को आवंटन की गयी । पत्रावली सं. 993/71 के परीक्षण अनुसार आवंटित भूमि ग्राम रजवास के आ.नं. 465/12 रकबा 02 बीघा भूमि आवंटी को दिनांक 07.08.1971 को सुपुर्द की गयी । पटटा गैर खातेदारी का उप जिलाधीश शाहपुरा ने जारी किया । इसके पश्चात् आवंटित भूमि खातेदारी से दर्ज हो चुकी हैं । आवंटित भूमि के दिनांक 18.01.1983 को खातेदारी दर्ज होने के पश्चात् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 14(4) पोषणीय नहीं हैं । उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के अंतर्गत स्वीकार योग्य नहीं ठहरता हैं । अतएव–

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14 (4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 का खारिज किया जाता है एवं विपक्षी सं. 01 के नाम ग्राम रजवास पटवार हल्का आमलदा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा के आराजी नं0 465/12 रकबा 02 बीघा भूमि पर किये गये आवंटन को यथावत रखा जाता है । निर्णय की प्रति तहसीलदार जहाजपुर को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/10/17

(एल.आर. गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा